

भारत गपतंत्र सरकार औोर तेसोयो किकाड की सरकार के स्र-भागो के बीच सेवाबो के तिये

## हवाई परिवहन करार

भारत गणतत्र सरकार और लेसोथो किगडम की सरकार रजिन्दे इससे आगे "सीविदाकरी पक्ष" कहा। गया है है,
जो 17 दिसम्बर, 1944 को रीकागो मे हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किए गए अतर्राट्द्रीय नागर विभानन आभिसमय
के हिस्ताक्षरकर्ता है , और जो अपने-अपने भू-भागो के बीच अनुसूचित हवाई सेवाए स्थापित करने के प्रयोजन से एक करार करने की इछा रसते हैं,

निम्नलिखित के लिये सहमत हुए हैं ,

## अनुचेद्य-

परिमाषा

1. जब तक कि प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अमीट्ट न हो, प्रस्तुत करार के प्रयोजन के लिए।:
1.1 "अभिसमय" पद का आशय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रत्तुत अंतरर्ट्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से के, और इसमे उक्त अभिसमय के अनुछेद 90 के अंतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुवर तथा उक्त अभिसमय के अनुछेद 90 और 94 के अधीन अनुबंधो या अभिसमय में किया गया कोई मी संगोधन शामिल होगा जहा तक ये अनुबंध और सशोथन दोनों संविदाकारी पह्षो दारा स्वीकार कर लिये गए हो ,
1.2 "वैमानिकी प्राधिकारी"पद का आशय, भारत गणतत्र सरकार के मामले मे नागर विमानन महानिदेश़क तथा ऐेसे व्यक्ति या संत्था से के जिसे ऐेसे कारों को' करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो जो इस समय उक्त प्राधिकारी दारा किये जाते है और लेसोथो किगडम की सरकार के मामले में परिवहन एवं संचार मंत्री या रेसे व्यक्ति अथवा सस्था से हैं' जिसे इस समय उक्त प्राधिकरी दारा किये जा रठे कायों को करने के लिये प्राधिक्त किया गया हो ,
1.3 "नामित विमान कम्पनी" पद का आशय ऐसी विमान कैपनी से है जिसे प्रस्तुत करार के अनुछ्छेद 4 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो ,
1.4 "भू-माग" पद का आशय किसी भी राज्य के मामले में वही है जो उसे अमिसमय के अनुच्छेद 2 में दिया गया है ,
"हवाई सेवाओ" "संतर्राप्ट्रीय हवाई सेवाओ" "एयरलाइन" और "यातायात से भिन्न प्रयोजनो के लिये क्रकना" पदों का आराय वही है जो कि उन्हे क्रमशः अनुछेद 96 में दिया गया है , और
"टेरिफ" पद का आशय उन लागतो से है जो यात्रियो और कार्गो के वहन के लिये अदा किंये गर हो और उन शतों से है जिनके अतर्गत ये क्रिमते लागू होती हैं, इनमे एज्जेसी और अन्य अनुपगी सेवाओं की लागतें, कमीशन और शते भी शामिल है, लेकिन इसमें डांक के वहन के लिये पारिश्रमिक और शतें शामिल नहीं होगी ,
1.7 "अनुबध" पद का आशय इस करार से संबंद अनुर्ब या अनुच्छेद 16 के प्रावधानो के अनुसार संशोधित अनुबंध से है और इस करार के प्रयोजन के लिये अनुबंध इस करार का एक अभिन्न हिस्सा है और जहा अन्यथा अपेक्षित न हो, करार से संबधित समी संदर्मों में अनुबं से संबंधित सदर्भ भी शामिल होगा ।

## अनुद्छेद-2

## शिकागो अभिसमय की प्रयोज्यता

2.1 इस करार के प्रावधान जहा तक प्रावधान अतर्राप्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू हो, अभिसमय के प्राबधानो के अधीन होंगे ।

#  <br> <br> बनुच्छेद-3 <br> <br> बनुच्छेद-3 <br> आधिकरो की मजनरी 

3.1 प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को अपने अनुसूचित अंतर्राट्ट्रीय विमान सेवाओं के संबच में निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है :
3.1.1 बिना उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना, और
3.1.2 यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए उक्त भू-भाग मे रकना ।
3.2 प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे सीविदाकारी पक्ष को, इस करारा के अनुबंध के उपयुक्त खड में विनिर्दिष्ट मागो पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन के लिए अधिकार मंजूर करता है । ऐसी सेवाओं तथा मागों को आगे क्रमशः "सम्मत सेवाऐ" और "निर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दारा निर्दिए मार्ग पर सम्मत सेवाएं परिचालित करते समय इस अनुचेद के पेराग्राफ 3.1 में निर्दिष्ट अधिकार के साथ-साथ यात्री, माल तथा डाक उतारने तथा चढ़ाने के प्रयोजन के लिए इस करार के अनुबंध में निर्दिष्ट मार्ग के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में निर्दिए स्थानो पर रखने का अधिकार होगा ।
3.3 इस अनुछ्छेद के पैरा 3.2 में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं समझा जाएगा कि उससे एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में नामित विमान कम्पनी दारा ऐसे यात्रियो, माल तथा डाक को किराये या प्रतिफ्ल के लिए चढ़ा सकेगा जिसे उस! दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग मे ही किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाना हो ।

## अनुछेद-4

## विमान कम्पनियो का नामित और प्राषिक्त किया जाना

4.1 प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, विंनिर्दिष्ट मागों पर सम्मत सेवाओं के परिचालन के प्रयोजन के लिए,
: 4 :

गजनायक माध्यम से लिखित रूप में, दूसरे सीविदाकारी पक्ष को एक विमान कपनी नामित करने का अधिकार होगा ।

ऐेसा नामांक्न प्राप्त होने पर, दूसरे सविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्रतिकरी बिना विलंब के, इस अनुछेद के पैरा 4.3 ओर 4.4 के उपबरधो के अयीन, इस अनुुछेद के पैराग्राफ 4.1 के अनुसार इस प्रकार नामित विमान क्पनी को उपयुक्त परिचालन प्रापिकार मंनूर करेगा ।

एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे संविदकारी पक्ष दारा नामित विमान क्पनी से यह अपेक्षा कर सकते है कि वह उन्हे इस बात के लिये संतुष्ट करे कि वह उक्त प्रतििकारियो दारा अभिसमय के उपबधों के अनुल्प उतर्राद्ट्रीय विमान सेवाजों के परिचालन पर सामान्यतः लागू कानूनों और विनिमयों के अचीन निर्थीरित जतों को पूरा करनें योग्य है ।
4.4 प्रत्येक सीविदाकरी पक्ष को इस अनुचेछेद के पेराड़ाफ 4.2 में उल्लिखित परिचालन प्राधिकार देने से इकार करने या इस कार के अनुछेद 3 में निर्दिए अी़िकारो पर नामित विमान कपनी दारा उनके प्रयोग करने पर ऐेसी जाते लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समत्रे, यदि उक्त सीवदाकरी पक्ष इस बात से सतुप्ट नहीं है कि विमान कैपनी का वास्ताविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियय्नण विमान कपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा ऐसे संविदाकारी पक्ष के राहिद्रको में निहित है । "वास्तीविक स्वामित्व तथा प्रभावी निय्यत्रण" से अमिप्रेत यह के कि यदि किसी मामले में नामित विमान कंपनी इस करार के अंत्रार्त अपनी सेवाए, किसी अन्य देश या किसी अन्य देश की सरकार या राप्ट्रिकों के साथ करार करते हुए परिचालित करती है, तब संविदाकारी पक्ष की नामित विमान क्षनी या इसके राट्ट्रिको के बारे में यह समझा जाएगा कि नामित विमान कपनी पर उनका वास्तीविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियत्रण नहीं है जब तक सीविदाकांरी पक्ष या इसके राट्ट्रको के पास, नामित विमान क्पनी की परिसम्पतियो के मुख्य भाग के स्वामित्व के आतारिक्त निम्नलिलित भी न हो :
§। नामित विमान केपनी के प्रबंध मंडल मे प्रभावी नियत्रण, और
§2\% सेवाओं के परिचालन में प्रयुक्त उपस्कर और विमान बेड़े के मुख्य भाग पर स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण ।
4.5 जब एक विमान कपनी इस प्रकार नामित और प्राधिकृत कर ली जाए तो यह ऐसी सम्मत सेवाओ का परिचालन कर सकती है जिनके लिये इसे नामित किया गया है बशर्ते कि इस करार के अनुच्छेद 7 के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित टेरिक उन सेवाओं के संबध मे लागू हो ।

## अनुदेद-5

## परिचालन प्राधिकरों का प्रतिसंहरण या नित्तबन

5.1 प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कपनी दारा इस करार के अनुछ्छेद-3 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग का निलंबन करने या परिचालन प्राधिकार प्रतिसंद्धत करने का अधिकार होगा या इन अधिकारो के प्रयोग पर ऐेसी शते लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे ,
5.1.1 यदि किसी भी ऐसे मामले मे जहा वह इस बात से संतुंट्ट न हो कि उस विमान क्षनी का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियत्रण विमान कंपनी को नामिंत करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा उसके राष्ट्रिको में निहित है, अथवा
5.1.2 यदि वह विमान कंपनी इन अधिकारो को मंजूर करंने वाले सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में लागू कानूनो और विनियमों का अनुपालन करने में असमर्थ रहती है, अथवा
5.1.3 किसी भी ऐसे मामले में जहां वह विमान कपनी अन्यया इस करार के अतर्गत निर्धारित ज्ञां के अनुसार परिचालन करने में असमर्थ रहती है ।
5.2 जब तक इस करार के प्रावधानो के निर्दिए कानूनो और विनियमो के अतिलघचन को रोकने के लिए तत्काल प्रतिसहरण, निलंबन या इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5.1 में उत्लिखित जतों का आरोपण अनववार्य न हो तो ऐेसे अधिकार का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा ।

## अनुद्ठेद-6

## सम्पत सेवाओं को प्रशासित करने वाले सिदोत

6.1 दोनो संविदाकारी पक्षो की नामित विमान कपनियो को अपने भू-भागो के बीच निर्दिष्ट मागों पर सम्मत सेवाओं का परिचालन करने का उंचित और समान अव़सर उपलब्ध होगा ।
6.2 सम्मत सेवाओ का परिचालन करते समय प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दूसरे संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी के हितो को ध्यान में रसेगी ताकि इस दूसरी विमान केपनी दारा उसी मार्ग के संपूर्ण या किसी हिस्से में उपलब्य कराई जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।
6.3 संविदाकारी पक्षो की नामित विमान कम्पनियो दारा उपलब्थ कराई जा रही सम्मत सेवाओ का निर्दिष्ट मागों पर यात्रियो के परिवहन से संबंधी आवश्यकताओ से निकट संबं होगा और उनके मूल उद्देश्यो के अनुर्प, उसे नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के किसी स्थान से आने वाले या उस स्थान तक जाने वाले यात्रियो, माल और डाक के वहन के लिये मौजूदा और समुचित रूप से प्रत्याशित आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त भार गुणक के अनुसार विमान क्षमता की व्यवस्था करेगा ।
: 7 :

सम्मत सेवाओं के शुरू होने से पूर्व रुपलब्ध कराई जाने वाली विमान क्षेमता और परिचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति के बारे मे ऊपर निर्धारित सिदातो के अनुसार दोनो संविदाकारी पक्षो के वैमानिकी प्राधिकारियो के बीच सहमात होगी और इस अनुछेद के प्रावधानो की राजनयिक टिप्पणियों के माष्यम से पुप्टि की जाएंगी ।
6.5 दोनो संविदाकारी पक्षो में से किसी भी पक्ष की नामित विमान कपनी द्वारा उपलब्य कराई जाने वाली क्षमता और/या परिचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति मे कोई भी वृदि मुख्य रूप से सीविदाकारी पक्षो के भू-भागो के बीच यातायात की अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित होगी और यह दोनो वैमानिकी प्राधिकारियो के बीच करार के अथीन होगी । ऐसी सहमति और समझौता होने तक, पहले से लागू क्षमता और आवृत्तियो की हकदारी बनी रहेगी ।

## अनुछेद्व-7

## देरिक

7.1 एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से या उस तक वहन के लिये वसूल किये जाने वाला टैरिफ समुचित स्तरो पर निर्थारित किया जाएगा जिसमे परिचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य एयरलाइनो के टैरिफ सहित समी संगत पहलुओ को ध्यान में रखा जाएगा ।

इस अनुछ्छेद के पैरा 7.1 में निर्विष्ट टेरिक के बारे में यदि सभव हो, तो दोनो संविदाकारी पक्षो की नामित विमान कपनियो के बीच सपूर्ण मार्ग या उसके किसी भाग में परिचालन कर रही किसी अन्य विमान कृनी के साथ परामर्श से सहमति |होगी और ऐसा करार जहा तक समव हो सके टेरिफो के निर्धारण के लिए अंतर्राप्ट्रीय विमान परिवहन संघ की प्रक्रक्रयाओं का प्रयोग करते हुए किया जाएगा ।
(9)








अनुच्छेद-8

## विपानन सुरा

अंतराए्द्रीब कानून के अतर्गत अपने अधिकरो और दाबित्वो के अनुस्प सीविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुद्टि करते है कि गेर-कानूनी हस्सक्षेप की कार्रवाई के विस्ट नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दाषित्व इस करार का अभिन्न जंग है। । अतरराट्ट्रीव कनून के अतर्गत अपने अधिकारो और दायित्वो की व्वापक्ता को सीमित किए बिना, संविदाकारी पक्ष, 14 सितम्बर, 1963 को तोकियो मे ठस्ताक्षरित, विमान में किए गए अपराथों एवं कुछ अन्य कृत्यो से संबीित अभिसमय, 16 विसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गेर-कानूनी अमिग्रहण निवारण अमिसमय और 23 सितम्बर, 1971 को माट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा के विस्द गेर-कानूनी कार्वाई उन्मूलन अभिसमय के प्रावधानो के अनुस्प कार्रवाई करेगे ।
8.2 अनुरोष किए जाने पर सीवदाकारी पक्ष, रिवित विमानो का उभिभ्राहण करने और विमान, उसके यात्रि्रो ओर कार्मिको, विषानो और विमान दिक्वालन सुविधाओ तथा नागर विभानन सुरक्षा को होने वाले किसी भी प्रकार के लतरे के विस्द किसी मी प्रकार के गेर-कानूनी कावों को रोकने के लिए एक दूसेे को समी समव सहायता प्रदान करेगे ।
8.3 दोनो पक्ष अपने परसर संबचो में, अतरर्राट्दीरीय नागर विमानन संगठन दारा स्थापित और जतंर्राप्द्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुब्व के र्प में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबधो के उनुर्प उस सीमा तक कार्य करेंगे जहा तक वे इन पक्षो पर लागू होते है, वे अपने पजीकृत विमान प्रचालको या ऐेले विमान के प्रचालको जिनका ब्यवसाय का प्रमुल स्थान अथवा स्याई निवास उनके भू-भाग में के तथा उनके क्षेत्र तो, हवाई अड्डों के प्रचालको से बह अपेक्षा करेंगे कि वे ।इन विमानन सुरक्षा उपबचो के अनुस्प कार्य करे ।
8.4 प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत होगे कि विमान के इस प्रकार के प्रचालक को दूसरे


संविदाकारी पक्ष के भू-भाग मे प्रवेश करने, वहा से प्रश्थान करने उथवा उस भू-भाग़ में रहते समय उस दूसरे सीविदाकारी पक्ष दारा अयेक्षित उपरोक्त कैरा 8.3 मे निर्विष्ट विमानन सुरक्षा प्रावधानो का अनुपालन करना होगा । प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष को यह सुनिशिचत करना होगा कि विमान की सुरक्षा और विमान पर सवार होते समय अथवा उतरने के दौरान यात्रियो, क्रिर्मीदल, सामान, माल और विमानन मडार की सुरक्षा के लिए उसके क्षेत्र में प्रभावी और उचित कदम उठाये गर के । प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष किसी विशोष धमकी से निपटने के लिए विशोष सुरक्षा उपायो को करने के बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष से प्राप्त किसी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार क्रेगा ।
8. 5 यदि किसी सिखिल विमान के गेर-कानूनी ढग से अपठरण किये जाने उथवा धमकी दिये जाने की कोई घटना घटती है अधवा इस प्रकार के विमान, उसके यात्रियों और कर्मीदल, हवाईई अड्डों अथवा विमान दिक्वालन सुविधाजो की सुरक्षा के विस्द कोई घटना घटती है तो सीवदाकारी पक्ष दूसरे सविदाकारी पक्ष को इस प्रकार की घटना अथवा थमकी से गीत्र निपटने के लिये सचार माख्यमो ओर अन्य उपायो के द्वारा एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

## उनुछेद्व-9

## तीवा-युत्क, निरीष्य गूत्क बौर दसी प्रकार के खन्य प्रमारों से घूट

9.1 एक सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दारा अतरराट्ट्रीय विमान सेवाओं पर परिचालित किये जा रहे विमान तथा विमान में रखे गए उनके नियीमित उपसकर, फालतू पुर्ज, हैधन और न्नेहको की सप्ताई और विमान में पहते से रसे गए विमान मंडार, रुजिसमे साख्य, मादक पदार्थ और तम्बाक्त भी समम्मिलित हैँ के दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुचने पर, सभी प्रकांर के सीमा-शुल्क, निरीक्षण श्रुत्क और अन्य प्रकार के घुत्को या करों से मुक्त रहेंगे बशार्ते ऐेसे उपसकर, पुर्ज और सप्ताई उस समय तक विमान में रहे जब तक उनका पुनः निर्यात नही किया जाता या उस भू-भाग के ऊपर की गई यात्रा में उसका उपयोग नहीं कर लिया जाता ।
9.2 ये निथादित सेवा के अनुस्प प्रभारों के सिवाय, ऐेसे ही शुलो;कीस और प्रभारो से युक्त रहेंगे,

9.2.1 किसी भी सीविदाकारी पक्ष के सीया-घुल्क प्राधिकारियो द्वारा निर्यारित सीमाओं के भीतर उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में विभान मे लिये गए विमान भडार जिसका उपयोग अंतर्राद्दीवीय हवाई सेवाडो में लगी दूसरे सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कपनी के विमान दारा बाहरी यात्रा में किया गया हो ।
9.2.2 दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान क्षनी दारा अतर्राद्ट्रीय हवाई सेवाओ मे प्रयुक्त विमानो में रस-रसाव या मरम्मत के लिये किसी मी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में इस्तेमाल मे लाये गर क्ल-पुर्ज और ईंजिन, और
9.2 .3 एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कपनी के विमान को सप्ताई किया गया ईैधन ओर सेटक, जो दूसरे सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अतरर्राप्ट्रीय हवाई सेवाडो में लंगा हुजा हो, चाहे इस सप्लाई का उपयोग उन आंशिक उड़ानो पर किया गया हो जो उस सविदाकारी पक्ष के भू-भाग के ऊपर की गई हो जहा से इस सप्ताई को लिया गया हो, बरार्ते कि ऐेसी! समी उड़ानो पर उस भू-भाग में विमान मष्यवर्ती अवतरण कर सकते है ।
9.3 ऊुपर उप-पैराग्राफ $9.2 .1,9.2 .2$, और 9.2 .3 में उल्लिखित सामक्री सीमा-घुत्क प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण या नियंग्रण में रसी जा सकती है ।

उनुदेव-10
उपकरर, सामग़ी और सप्ताई को उतारना
10.1 दोनो में से किसी भी सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कपनी के विमान पर सामान्यतः रसे गए नियममत उड़ानगत उपस्कर तथा सामड़ी और सप्लाई को दूसरे सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उसके सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के अनुपोदन से ही उतारा जा सकेगा ।
10.2 ऐेसे मामलो में इन्हे उस समय तक उक्त प्राधिकारियो के पर्यवेक्षण में रसा जा सकेगा जब तक उन्हे

पुनः निर्यात नहीं कर दिया जाता या सीमा-शुल्क विवनयमो के अनुसाऱ उनका निपटान नहीं कर दिया जाता ।

## अनुछेदे - 11

## कनून, विनियम और प्रक्रियाबों को ताग् करना

11.1 दोनो में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के कानून, विनियम और प्रक्रियाओ का जिनके अतर्गत अंतर्राप्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगे विमानो दारा उनके भू-भाग में प्रवेश करने और वहा से उड़ान भरने से संबधी कार्यकलाप अथवा ऐेसे विमान के परिचालन और दिक्चालन प्रशासित होते है, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कपनी के विमान दारा उक्त भू-भाग में प्रवेश करने, उसमे स्के रहने और वहा से प्रस्थान करने तक अनुपालन किया जाएगा ।
11.2 दोनो मे से क्सिी भी संविदाकारी पक्ष के आप्रवासन, पासपोर्ट अथवा अन्य अनुमोदित यात्रा संबंधी दस्तावेज, प्रवेश, क्लीयरेस, सीमा-शुल्क और संगरोण से संबंधित कानून, विनियमो और कार्यविधियो का दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विभान कपनी के विमान दारा वाहित कर्मीदल, यात्रियो, माल ओर डाक के वहन के लिए उनके दारा अथवा उनकी ओर से उक्त संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय, वहा सके रहते समय और वहा से प्रस्थान करते समय अनुपालन किया जाएगा।
11.3 दोनो में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के सीचे पारगमन में स्के यात्री, कार्गो और डाक, जो कि इस प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाई अड्डे के क्षेत्र को न छोड़ना चाहते हो, हिसा, अपहरण या तोड़-फोड़ के विरूद सुरक्षा संबंधी उपायो के सिवाय, साधारण नियत्रण प्रंक्रक्रया के अधीन रहेंगे। सीधे पारगमन में रूका कार्गो और डाक सीमा-शुल्क और ऐेसे ही अन्य शुल्कोः से मुक्त रहेगा ।
11.4 दोनो में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग मे, हवाई अडृडो और अन्य विमानन सुविधाओ का उपयोग करने हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान केपनी से वसूल किया गया शुल्क और प्रभार ऐसी ही अतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओ में लगी दूसरी एयरलाइनो के परिचालनो से अधिक नहीं होगे ।
11.4 दोनो में से कोई भी सीविदाकारी पक्ष अपने सीमा-शुल्क, आब्रजन,संगरोध। और इसी प्रकार के विनियमो को लागू करने अथवा अपने नियत्रणाधीन हवाई अड्डो, हवाई मार्ग और हवाई यातायात सेवाओ़ो और सहायक सुविधाओ के उपयोग में दूसरे सीविदाकारी पक्ष की नांमित विमान कपनी से ऊपर किसी अन्य एयरलाइन को तरजीज नहीं देगे ।

अनुदेढ-12

## पीरिचालन सुचना का प्रावषान

12.1 प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कपनी से अपेक्षा करेगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियो को, जितनी जल्दी संभव हो सके, सम्मत सेवाओो के आरंभ करने से पहले, सेवा की किस्म, प्रयोग में लाए जाने वाले विमान के प्रकार,उड़ान अनुसूचियो; टैरिक अनुसूचियो और सम्मत सेवाओं के परिचालन से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना देगी और ऐसी सूचना भी देगी जिससे वैमानिकी प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो सके कि वर्तमान करार की समी अपेक्षाओो का विधिवत ढंग से पालन किया जा रहा है । इस अनुछ्छेद की अपेक्षाऐ इसी तरह सम्मत सेवाओं से संबंधित किन्हीं भी परिवर्तनो पर लागू होगी ।

## अनुच्देद-13

## ओक्डो की व्पवस्था

13.1 दोनो मे से किसी भी संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कपनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियो को उस दूसरे सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग को या वहां से उथवा उस भू-भाग से होकर प्रत्येक मासं के दौरान सम्पत सेवाओं पर वहन किए गए यात्रियो से संबंधित आक्ड़े,जिसमें प्रारंमिक और गतत्य स्थान तथा यात्रियो के विमान में सवार होने और उतरने के स्थानो को दिसाया गया हो, प्रस्तुत करेगी 1 ऐसे आकड़े यथासंमव प्रत्येक मास के अत में प्रस्तुत किये जाएँगे ।

## अनुच्छेद-14

## आर्जित राजस्व का हस्तांतर中

14.1 प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान केपनी को,उसके भू-भाग में यात्रियो, सामान, कार्गो और डाक से आर्जत राजस्व में से व्यय के बाद बचत राशि अपने मुख्यालय को हस्तातरित करने का अधिकार प्रदान करेगा । तथापि, इस' प्रकार की राशि का प्रेपण परिवर्तित मुढ्रा में किया जाएगा और यह उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमो के अथीन और अनुसार होगा जहा यह राजस्व अर्जित क्यिा गया है ।
14.2 इस प्रकार का हस्तातरण वहा की सरकारी विनिमय दर से किया |जारगा अथवा जहा सरकारी विनिमय दर लागू न हो, वहा मुद्रा भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी विनिमय की मार्केट दर से किया जाएगा ।
14.3 ऐसे मामलों में जहा दोनो संविदाकारी पक्षो के बीच भुगतान के हस्तातरण के लिए विशेष व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था के उपबंधो को, इस अनुच्छेद के पैरा 14.1 के अंतर्गत निधियों के हस्तातरण पर लागू किया जाएगा ।

## अनुदेढ़-15

## एयरताइन प्रतितिषित्व

15.1 प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कैपनी, दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रवेश और रिहायश से संबंधी कानूनो और विनियमों के अधीन, ऐसे दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सम्मत हवाई सेवाओो की व्यवस्था के लिये यथापेक्षित तकनीकी एवं वाणिज्यिक स्टांफ सहित अपने प्रतिनिधि रसने का हकदार होगी ।
16.1 सीविदाकारी पक्षो के वैमानिकी प्राधिकारी निकट सहयोग की भावना से, इस करार के उपबंधो और इसके अनुबध के सही कार्यान्वयन और सतोषजनक अनुपालन को सुतिशिचत करने की दृष्टि से,समय-समय पर एक दूसरे से परामर्श करेगे और जब भी संशोधन की आवश्यकता होगी आपंस में सलाह मशविरा करेगे 1
16.2 कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष से परामर्श का अनुरोथ कर सकता है जो मोखिक या लिखित हो सकता है । ऐेसा परामर्श इसके लिये अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से साठ 60 दिन के भीतर शुरू हो सकेगा, बशर्त कि दोनो सीविदाकारी पक्ष सयुक्त रूप से इस अवणि को बढ़ाने पर सहमत न हो जाए ।
16.3 संविदाकारी पक्षो दारा इस करार में किया गया' कोई भी संशोधन टिप्पणियो के आदान-प्रदान से पुष्टि किये जाने पर लागू हो जाएगा ।
16.4 इस करार के अनुबंध में किये जाने वाले किसी भी संशोधन का निर्णय दोनो वैमानिकी प्राधिकारियो के बीच सीथे परामर्श से किया जाएगा ।

## अनुछेद-17

## विवाद का निपटान

17.1 यदि इस करार के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो संविदाकारी पक्षो के वैमानिकी प्राधिकारी आपस में बातचीत दारा इसे निपटाने का प्रयास करेंगे, यदि ऐसा न हो सके तो यह विवाद निपटान के लिए संविदाकारी पक्षो को भोजा जाएगा ।
18.1 दोनो में से कोई भी संवदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप मे राजनयिक माष्यम से इस करार को समाप्त करने हेतु अपने निर्णय के बारे मे नोटिस दे सकता है । ऐेसा नोटिस साथ साथ ही अंतर्राप्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा । ऐसे मामले मे, दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से बारहई 12 मास के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवाि की समाप्ति से पूर्व ही वापिस न ले लिया जाए । दूसरे सीविदाकारी पक्ष से पावती प्राप्त न होने की स्थिति मे, अतर्रषष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दारा इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह रे। दिन बाद यह नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा ।

## अनुदेढद-19

## बहुपदीय हवाई खमिसमय की प्रयोज्यता

19.1 जहा तक इस करार के अतर्गत स्थापित हिवाई सेवाओं पर इसके लागू होने का प्रश्न है, इस अभिसमय के उपबंध इस करार की अवाध के दौरान संविदाकारी पक्षो के बीच अपनी उसी वर्तमान स्थिति में लागू रहेंगे, जसे कि यह करार के अभिन्न अंग हो, बशर्ते कि दोनो संविदाकारी पक्ष अभिसमय में कोई सशोधन करने का समर्थन न करे जोकि विधिवत रूप से लागू हो जाएगा, उस स्थितित मे यथासशोधित अभिसमय इस करार की अवाधि में लागू रहेगा ।
19.2 यदि दोनो सीविदाकारी पक्षो के मामले में सामान्य बहुपक्षीय हावाई अभिसमय लागू होता है तो ऐसे अभिसमय के उपबंध मान्य होगे ।

उनुद्ठेद-20

## झंतर्राट्टीय नागर विमानन सेमठन के पास पजीकरण

20.1 यह करार और इससे संबेधित कोई' मी संशोधन अंतर्राप्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पजीकृत किया जाएगा ।

## अनुछ्ठेद-21

## प्रवर्तन में जाना

21.1 आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन कर लिये जाने पर, यह। करार हस्ताक्षर की तारीख से प्रवर्तन में आ जाएगा ।

दिनांक थ६-₹-₹2 को मसेरू
में चार मूल पाठो में, प्रत्येक दो हिन्दी ओर दो अंग्रोजी भाषाओ में हंस्ताक्षर किये जिनमे सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक है । यदि इसके निर्वचन में कोई मतभेद हो तो। अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

Sn* 20 orras
( सत्यद्रत पात
लेसोयो मे भारतीय उच्चायुक्त
कृते भारत सरकार


केते लेसोधो सरकर

## अनुबंघ

## मार्ग अनुसूची

सड-1

क. भारत गणतंत्र सरकार दारा नामित एक विभान कैपनी को इस खंड में विनिर्दिष्ट मागों पर दोनो दिशाओं में अनुसूचित सेवाओ का प्रचालन करने और इसमे विनिर्दिष्ट स्थानो पर लेसोथो के भू-भाग में यातायात प्रयोजनों के लिए उतरने का अधिकार होगा ।
$\qquad$

उद्गम्र स्थान
भारत के स्थान

मष्यवर्ती स्थान
2
भारत की नामित विमान कंपनी
दारा चयन किया गया कोई स्थान
जो बाद में निर्दिष्ट किया जाना है।

टिप्पणी़ः रक ऊपर कालम 2 में निर्दिष्ट स्थान को किसी एक अथवा सभी सेवाओं पर छोड़ा।जा सकता है परन्तु सभी सेवाए भारत से शुरू होगी अथवा भारत में समाप्त होगी ।

## संड-2

ख- लेसोथो किगडम सरकार दारा नामित विमान कंपनी को इस खड में विनिर्दिष्ट मागों पर दोनो दिशाओ में अनुसूचित सेवाओं का प्रचालन करने और इसमे विरिनर्दिष्ट स्थानो पर भारत के भू-भाग में यातायात प्रयोजनो के लिए उतरने का अधिकार होगा ।
 सकता है परन्तु सभी सेवाए लेसोथो से शुरू होगी अथवा लेसोथो में समाप्त होगी ।


## AIR TRANSPORT AGREEMENT

## BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

## AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO FOR SERVICES BETWEEN THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Lesotho (hereinafter described as the "Contracting Parties"): Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the Seventh day of December, 1944; and Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing scheduled air services between their! respective territories:

Have agreed as follows:

## ARTICLE - 1

## Definitions

1. For the purpase of this Agreement, unless the context otherwise requires:
1.1. "The Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the Seventh day of December, 1944 including all Annexes adopted under Article 90 of that Convention and any amendments of the $\mid$ Annexes or the Convention under Articles 90 and 94 , thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties;
1.2. "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Government of the Republic of India, the Director General of Civil Aviation or any person or body authorised to perform the functions currently exercised, by the said authority and in the case of the Government of

## ARTICLE - 3

## Grant of Rights

3.1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect; of its scheduled international air services:
3.1.1. the right to fly across its territory without landing; and
3.1.2. the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.
3.2. Each Contracting Party grants to the other Cóntracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate Section of the annex to this Agreement. Such services and routes are hereinafter referred to as the 'agreed services' and the 'specified routes' respectively. While operating an agreed service on a specified route the airline designated by each Contracting Party shall enjoy, in addition to the rights specified in paragraph 3.1 of this Article, the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the annex to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail.
3.3. Nothing in paragraph 3.2 of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail, carried for hire or reward, destined for another point of the territory of the other Contracting Party.



- 5 -
airline, unless the Contracting Party or its 'nationals, in addition to the ownership of the major part of the assets of the designated airline, have also:-
(i) effective control in the management of the designated airline, and
(ii) ownership and effective control of the major part of the fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.
4.5. When an airline has been so designated and authorized, it' may operate the agreed services for which it is designated provided that tariffs established in accordance with the provisions of Article 7 of this Agreement are in force in respect of, those services.


## ARTICLE - 5

## Revocation or Suspension of Operating Authorization

5.1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization, or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated, by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:
5.1.1. in any case where it is not' satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or
5.1.2. in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations in force in the territory of the Contracting Party granting these rights; or
5.1.3. in any case where the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.
5.2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 5.1 of this Article is essential
to prevent further infringements of the laws or regulations of the provisions of thi: Agreement, such right shall be exercised only after consultation between the Contracting Parties.

## ARTICLE - 6

## Principles Governing the Operations of Agreed Services

6.1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territoriles.
6.2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.
6.3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision at a reasonable load factor, of capacity adequate for the current and reasonable anticipated requirements for the carriage of pasengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated that airline.
6.4. Prior to the commencement of the agreed servilces, the capacity to be provilded and the frequency of services to be operated shall be agreed between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties in accordance with the principles laid down above and the provisions of this Article and shall be confirmed by an exchange of diplomatic notes.
6.5. Any increase in the capacity to be provided and/or frequency of services to be operated by the designated airline of either Contracting Party shall be based primarily on the estimated requirements of traffic between the territories of the Contracting Parties and shall be subject to 'agreement between the two aeronautical authorities. Pending'such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.

## ARTICLE - 7

## Tariffs

7.1. Tariffs to be charged by the designated airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including costs of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
7.2. Tariffs referred to in paragraph 7.1 of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines of both Contracting Parties, after consultation with any other airlines operating over the whole or part of the routes concerned, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the calculation of tariffs.
7.3. Tariffs so agreed shall be submitted for approval' to the aeronautical authorities of both Contracting Parties at lea'st sixty (60) days before the proposed date of their introduction! In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
7.4. Approval of tariffs may be given expressly; or, if neither of the Aeronautical Authorities has expressed,' disapproval within thirty (30) days from the, date of submission, in accordance with paragraph 7.3 of this Article, the tariffs shall be considered


- 8 -
as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 7.3, the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.
7.5. If tariffs cannot be agreed in, accordance with, paragraph 7.2 of this Article or if during the, period applicable! in accordance with paragraph 7.4 of this Article, one Aeronautical Authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of tariffs agreed in accordance' with the provisions of paragraph 7.2 of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State, whose advice they, consider useful, endeavour to determine tariffs by mutual agreement.
7.6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on tariffs submitted to them under paragraph 7.3 of this Article, or on the determination of tariffs under paragraph 7.5, of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 17 of this Agreement.
7.7. Tariffs established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until new tariffs have been established; provided that tariffs shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which they would otherwise have expired.


## ARTICLE - 8

## Aviation Security

8.1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that; their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this


Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting' Parties' shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo ion 14th September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16th December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts; against the Safety of Civil Aviation signed at Montreal on 23rd September, 1971.
8.2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civill aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
8.3. The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provilsions established by the International Civill Aviation Organisation and designated as Annexes to the Convention on International Civill Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators. of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such avilation security provisions.
8.4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 8.3 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within
its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft store's prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
8.5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate imeasures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

## ARTICLE - 9

## Exemption from Customs Duties, Inspection

 Fees and other Similar Charges9.1. Aircraft operated on international air services by the , designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuel and lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other similar charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment, parts and supplies remain on board the, aircraft upto su'ch time as they are re-exported or are used' on the part of 'the journey performed over that territory.
9.2. There shall also be exempt from the same duties, fees' and charges, with the exception of charges corresponding to the service performed:
9.2.1. aircraft stores taken on, board in the territory of a Contracting Party, within limits fixed by , the Customs

- 11 -
authorities of the said Contracting Party and for use on board outbound aircraft engaged in an international air service of the designated airline of the other Contracting Party;
9.2.2. spare parts, including engines, introduced into the territory of either Contracting Party for ' the maintenance: or repair of aircraft used on international air services by the designated airline of the other Contracting Parrty; and
9.2.3. fuels and lubricants supplied to ant aircraft of the designated airline of a Contracting, party engaged in an international air service in the territory of the 'other Contracting Party, even when these supplies are to be consumed on the parts of the flight which are performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board; and notwithstanding that on the all such flights aircraft 'may make intermediate landings in that territory.
9.3. Materials referred to in sub-paragraphs 9.2.1., 9.2.2 and 9.2.3 above may be required to be kept under Customs supervision or control.


## ARTICLE - 10

## Unlloading of Equipment, Materials and Supplies

10.1. Regular airborne equipment, as well 'as materials and: supplies' normally retained on board the aircraft of the designated airline of either Contracting Party, may be, unloaded in the 'territory of the other Contracting Party, only, with the approval of the Customs authorities of that territory.
10.2. In such cases they may be placed under the supervision of the said authorities upto such time as they, are re-exported or otherwise disposed of in accordance with Custom's regulations.


- 12 -


## ARTICLE - 11

## Application of Laws, Regulations and Procedures

11.1. The laws, regulations and procedures of either Contracting Party governing entry into or departure from its territory of aircraft engaged in international air services, or the operation and navigation of such aircraft, shall be complied with by the aircraft of the' designated airline of the other Contracting Party upon entry into, and until and including departure from the said territory.
11.2. The laws, regulations and procedures of either Contracting Party relating to immigration, passports or other approved travel documents, entry, clearance, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of crews, passengers, cargo and mail carried by aircraft of the designated airline of the other Contracting Party upon entry into, and until and including departure from, the territory of the said Contracting Party.
11.3. Passengers, cargo and mail in direct' transit across the territory of either Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall, except in respect of security measures against violence, hijacking or sabotage, be subject to simplified control procedures. Cargo and mail in direct transit shall be exempt from' customs (and other similar) duties.
11.4. Fees and charges applied in the territory of either Contracting Party to the airline operations of, the other Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities shall not be higher than those applied to the operations of other airlines engaged in similar international air services.
11.5. Neither of the Contracting Parties shall give preference to any other airline over the designated airline of the other Contracting Party in the application of its customs, immigration, quarantine, and similar regulations or in the, use of airports, airways and air traffic services and associated facilities under, its control.

- 15 -


## ARTICLE - 16

## Consultation and Amendment

16.1. In a spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex hereto and shall consult when necessary to provide for amendment thereof.
16.2. Either Contracting Party may request consultations which may be oral or in writing. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days of the date of receipt of the request unless both Contracting Parties agree to an extension of this period.
16.3. Any amendment of this Agreement agreed to by the Contracting Parties shall enter into force when confirmed by an Exchange of Notes.
16.4. Any amendment in the annex to this Agreement may, be decided upon by direct consultations between the two Aeronautical Authorities.

## ARTICLE - 17

## Settlement of Disputes

17.1. If any dispute arises relating to the interpretation or application of this Agreement, the aeronautical' authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves, failing which the dispute shall be referred to the Contracting Parties for the settlement.

## ARTICLE - 18

## Termination

18.1. Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the, other Contracting Party, of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the 'International Civil' Aviation Organisation. In such case this Agreement shall terminate twelve (12) months after the date when the notice has been received by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before 'the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by, the International Civil Aviation Organisation.

## ARTICLE - 19

## Applicability of Multilateral Air Conventions

19.1. To the extent to which they are applicable to the 'air services established under this Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, uhless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention, which shall have duly come into force, in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of this Agreement.
19.2. If a general multilateral air convention comes into force in respect of both Contracting Parties, the provisions of such convention shall prevail.


- 17 -


## ARTICLE - 20

Registration with International Civil Aviation Organisation
20.1. This Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

## ARTICLE - 21

## Entry into Force

21.1. After compliance with necessary 'constitutional procedures, this Agreement shall come into force on the date of signature.

DONE at Maseru this the 16th day of September: 1992, in four originals two each in Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

[SATYABRATA PAL]
High Commissioner of India to Lesotho
for the Government of India

[ E. H. KOTELO ]
Minister \&f Koreign Affairs of the Kingdom of Lesotho for the Government of Lesotho

## ANNEX

## Route Schedule

Section - I
A. An airline designated by the Government of Republic of India shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on the routes specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of Lesotho at the points therein specified.

Points of Origin Intermediate Point $\quad$| Points in |
| :---: |
| Lesotho |

| 1 | 2 | 3 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

Points in India
One Point of choice as , Maseru decided upon by the designated airline of India
to be specified later.

Note: (a) Point in Column 2 specified above may be omitted on any or all services but all services must originate from or terminate in India.

## Section - II

B. An airline designated by the Government of the Kingdom of Lesotho shall be entitled to operate air services in both directions on the routes specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of India at the points therein specified.

Points of Origin Intermediate Point | Points in |
| :---: |
| India |



Note: (a) Point in Column 2 specified above may be omitted on any or all services but all services must originate from or terminate in Lesotho.

